

# विविध समसामयिक घटनाक्रम

## इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना, विमुद्रीकरण, एनपीए, चीनी उत्पादन, आधार कार्ड, नगरीकरण, नो-फ्लाइट लिस्ट नियम, आदि जैसे समसामयिक विषयों की विस्तृत जानकारी

## प्रधानमंत्री जन-धन योजना: आंकड़ों में (6 सितम्बर, 2017 की स्थिति)

- योजना का प्रारम्भ : 28 अगस्त, 2017
- योजना के तहत खोले गये खातों की संख्या : 30.15 करोड़
- ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये खातों की संख्या : 17.98 करोड़
- शहरी क्षेत्रों में खोले गये खातों की संख्या : 12.17 करोड़
- योजना के तहत रूपे कार्ड जारी : 22.77 करोड़
- खाता धारकों द्वारा जमा की गयी कुल राशि : 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक
- सर्वाधिक खाते खोलने वाले बैंकों की श्रेणी : प्रथम स्थान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है, दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व निजी बैंकों का है।

## विमुद्रीकरण: आंकड़ों में

- विमुद्रीकरण की समयावधि : 8 नवम्बर, 2016 की मध्य रात्रि से 30 दिसम्बर, 2016 की मध्य रात्रि तक।
- विमुद्रीकरण NRIs के लिए : 31 मार्च, 2017 तक आरबीआई से नोट बदलने की सुविधा।
- पुराने नोट (1000 व 500) की वापसी : 15.44 लाख करोड़ की राशि के पुराने नोट में से 15.28 लाख करोड़ अर्थात् 99% की राशि के पुराने नोट बैंक के पास वापस आ गये।
- 1000 के नोटों की कुल संख्या व वापसी की संख्या : कुल संख्या- 632.6 करोड़, वापसी की संख्या- 623.7 करोड़  
नोट: मात्रा 8.9 करोड़ नोट की वापसी न हो सकी, जो कुल संख्या का 1.4% रहा।

- आरबीआई द्वारा 9 नवम्बर : 23.8 बिलियन से 31 दिसम्बर 2016 तक बाजार में जारी किये गये नोटों की संख्या
- आरबीआई द्वारा 9 नवम्बर : 5,540 बिलियन रुपये से 31 दिसम्बर 2016 तक बाजार में जारी किये नोटों का मूल्य

**तालिका 10.1: वर्ष 2017 के भारत की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रैण्ड्स**

| रैंक | ब्रैण्ड         |
|------|-----------------|
| 1.   | एचडीएफसी बैंक   |
| 2.   | एयरटेल          |
| 3.   | एसबीआई          |
| 4.   | एशियन पेन्ट्स   |
| 5.   | आईसीआईसीआई बैंक |
| 6.   | कोटेक महिन्द्रा |
| 7.   | मारुति सुजुकी   |
| 8.   | बजाज मोटर्स     |
| 9.   | हीरो मोटर्स     |
| 10.  | एक्सिस बैंक     |
| 11.  | रिलायंस जियो    |

**नोट:** आर्थिक मामलों में शोध करने वाली अंतरराष्ट्रीय कम्पनी 'कैण्टर मिलवार्ड ब्राउन' ने 13 सितम्बर, 2017 को, भारतीय कम्पनियों को रैंकिंग दी।

### मानव पूंजी सूचकांक 2017

- सूचकांक जारीकर्ता : विश्व आर्थिक मंच
- कुल देश : 130
- भारत की रैंक : 103
- शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता देश : 1. नार्वे, 2. फिनलैंड, 3. स्विटजरलैंड, 4. यूएसए, 5. डेनमार्क

- ब्रिक्स देशों की स्थिति : रूस (16 वाँ स्थान), चीन (34 वाँ स्थान), ब्राजील (77 वाँ स्थान) तथा दक्षिण अफ्रीका (87 वाँ स्थान)
- रैंक देने के आधार : 1. मानव पूंजी विकास।  
2. दक्षता विकास।  
3. कौशल विकास।  
4. कौशल का उपयोग कैसे हो ?

**तालिका 10.2: सर्वाधिक गैर-निष्पादित सम्पत्ति (NPA) उत्सर्जित करने वाले बैंक**

| बैंक का नाम         | एनपीए (करोड़ रुपये में) |
|---------------------|-------------------------|
| ● भारतीय स्टेट बैंक | 1.88 लाख                |
| ● पंजाब नेशनल बैंक  | 57721                   |
| ● बैंक ऑफ इण्डिया   | 51019                   |
| ● आईडीबीआई बैंक     | 50173                   |
| ● बैंक ऑफ बड़ौदा    | 46173                   |
| ● आईसीआईसीआई बैंक   | 43148                   |

**तालिका 10.3: भारत की नगरीकरण की स्थिति 1951 से 2011**

| वर्ष   | कुल जनसंख्या का प्रतिशत (%) |
|--------|-----------------------------|
| ● 1951 | 17.29                       |
| ● 1961 | 17.97                       |
| ● 1971 | 19.91                       |
| ● 1981 | 23.34                       |
| ● 1991 | 25.71                       |
| ● 2001 | 27.78                       |
| ● 2011 | 31.80                       |

तालिका 10.4: भारत के प्रमुख विदेशी ऋण संकेतक

| संकेतक                                         | वर्ष<br>2014-14 | वर्ष<br>2015-16<br>(संशोधित) | वर्ष<br>2016-17<br>(प्राथमिक) |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| • विदेशी ऋण<br>(अरब डॉलर में)                  | 474.7           | 485.0                        | 471.9                         |
| • विदेशी ऋण में<br>वृद्धि                      | 6.4             | 2.2                          | - 2.7                         |
| • विदेशी ऋण<br>जीडीपी के<br>प्रतिशत के रूप में | 23.9            | 23.5                         | 20.2                          |

तालिका 10.5: भारत में चीनी उत्पादन की स्थिति

| वर्ष               | उत्पादन मिलियन टन में |
|--------------------|-----------------------|
| 2010-11            | 34.24                 |
| 2011-12            | 35.38                 |
| 2012-13            | 35.44                 |
| 2013-14            | 34.56                 |
| 2014-15            | 36.68                 |
| 2015-16            | 33.69                 |
| 2016-17 (अनुमानित) | 20.20                 |
| 2017-18 (अनुमानित) | 25.10                 |

स्रोत: इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन

## भारत व आस्कर अवार्ड (Oscar Awards and India)

- 90 वें आस्कर पुरस्कार 2018 के लिए हिन्दी फिल्म 'न्यूटन' को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।
- यह फिल्म सुविधा विहीन नक्सली इलाके में चुनाव वोटिंग जैसे गंभीर मुद्दे को पर्दे पर दिखाती है।
- फिल्म के निर्देशक अमित मसुंकर हैं तथा मुख्य किरदार में अभिनेता राजकुमार राव हैं।
- प्रत्येक वर्ष भारतीय फिल्म फेडरेशन के तहत एक जूरी सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए आस्कर भारतीय आधिकारिक प्रविष्टि का चयन करती है।

- अभी तक भारत ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में एक भी आस्कर नहीं जीता। लगान, मंदर इण्डिया, सलाम बाम्बे शीर्ष 5 में शामिल होने वाली फिल्में रही हैं।

## आधार कार्ड व भारत (Aadhar Card and India)

आधार कार्ड एक परिचय पत्र है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है।

**आवश्यकता क्यों?** हमारे देश में भिन्न-भिन्न पहचान पत्र का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण कई तरह की समस्या उत्पन्न होती हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को हर जगह पहचान पत्र की जगह मान्यता नहीं दी गई है। उसी तरह पैन कार्ड में भी एड्रेस न होने के कारण उसके साथ एड्रेस प्रूफ लगाना आवश्यक होता है। पासपोर्ट भी एड्रेस प्रूफ का अच्छा विकल्प है, परन्तु यह एक वर्ग विशेष तक ही सीमित है। मतदाता प्रमाण पत्र एक उचित प्रमाण पत्र माना गया है, जो सभी जगह मान्य है, लेकिन यह 18 वर्ष की आयु के बाद बनता है। यही कारण है कि आधार कार्ड, सभी समस्याओं का एक समाधान है।

**आधार कार्ड क्या है?** आधार कार्ड एक अद्वितीय कार्ड है, यह एक महत्वपूर्ण परिचय पत्र है, जो कि आपके भारत का नागरिक होने का सबूत देता है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) एजेंसी के जरिये भारत में लाया गया। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने आधार कार्ड को विशेष एवं जरूरी आइडेंटिटी के तौर पर देश में लागू किया है।

**आधार कार्ड में शामिल जानकारी:**

- 12 अंकीय आधार नम्बर
- नाम
- जन्म वर्ष
- लिंग
- फोटो
- बायोमेट्रिक विवरण जैसे फिंगर प्रिंट्स एवं आंखों की प्रिंट

**नोट:** यह कार्ड सबूत होता है कि व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसकी पूरी जानकारी भारत के विशेष डेटाबेस में सुरक्षित होती है, जोकि देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह डेटाबेस UIDAI एजेंसी के पास सुरक्षित है।

**आधार कार्ड की विशेषताएं**

- आधार कार्ड भारत का पहला ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें पहचान, पता, जन्म और अन्य प्रमाण पत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही कार्ड में हैं।
- यह बच्चों के लिए भी उपलब्ध है।
- आधार कार्ड भारत के किसी भी स्थान पर वैध और स्वीकार किया गया है।

- आधार कार्ड से बैंक खाता, मोबाइल, एलपीजी कनेक्शन, टिकट बुकिंग, नया पासपोर्ट बनवाने, पैन कार्ड, सब्सिडी जैसे अन्य कोई भी लाभ उठा सकते हैं।
- आधार कार्ड कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह के प्रमाणीकरण को सक्षम कर सकता है।
- आधार कार्ड प्रवासियों की गतिशीलता को पहचान प्रदान करेगा।

#### अन्य तथ्य

- आधार कार्ड 12 अंकों का नंबर है इस नंबर में 12 अंक होने का कारण 100 अरब लोगों की जनसंख्या है ताकि सभी को अलग-अलग आधार नम्बर मिल सके।
- आधार कार्ड नहीं अपितु आधार पर लिखा 12 अंक का नम्बर महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आपको अपना आधार नंबर याद है तो, आपको कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है केवल आधार नम्बर ही पर्याप्त है।

#### आधार के चर्चा में आने का कारण

- गृह मंत्रालय द्वारा 4 अगस्त, 2017 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया गया है। अर्थात् मरने वाले व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसका आधार कार्ड होना जरूरी होगा, जिसके आधार पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा। 1 अक्टूबर, 2017 से यह नियम, जम्मू कश्मीर, असम व मेघालय को छोड़कर पूरे देश में प्रभावी होगा।

#### निर्णय का महत्व

- गृह मंत्रालय ने अपने इस निर्णय के पीछे के उद्देश्य की मुख्य वजह पहचान सम्बन्धी धोखाधड़ी पर लगाम लगाने और मृतक की पहचान के लिए विभिन्न अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में होने वाली कठिनाईयों से छुटकारा दिलाना है, को बताया है।

#### नोट:

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार देश में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार यद्यपि आवश्यक दस्तावेज नहीं है, परन्तु बैंक खाता खोलने, पैन कार्ड बनवाने व आय कर की रिटर्न भरने जैसे जरूरी कार्य 'आधार' के बिना नहीं हो सकते।
- जम्मू कश्मीर, असम व मेघालय में यह नियम लागू करने की तिथि ग्रह मंत्रालय बाद में घोषित करेगा।

## वर्ल्ड हंगर इण्डेक्स, 2017 (World Hunger Index)

- तिथि : 12 अक्टूबर, 2017 को जारी की गयी।
- जारीकर्ता : इण्टरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट
- कुल देश : 119

**भारत का स्थान :** 100 (वर्ष 2016 के इस सूचकांक में भारत का 97 वाँ स्थान था।)

- रिपोर्ट का मूल्यांकन :**
- इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान (रैंक 106) तथा अफगानिस्तान (रैंक 117) से बेहतर है, जबकि भारत की स्थिति चीन (रैंक 29), नेपाल (रैंक 72), म्यांमार (रैंक 77), श्रीलंका (रैंक 84) तथा बांग्लादेश (रैंक 88) से पिछड़ी हुई है।
  - इस रिपोर्ट में भारत के बाद आने वाले 9 देशों में अधिकांश देश अफ्रीकी सहारा तथा सब-सहारा से संबंधित हैं।
  - ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति सबसे खराब है।
  - वर्ल्ड हंगर इण्डेक्स रिपोर्ट में 100 अंकों के एक मापन पर भुखमरी की समस्या को व्यक्त किया जाता है, जिसमें शून्य को श्रेष्ठ स्कोर व '100' को खराब स्कोर माना जाता है। 50 या उससे अधिक अंक को गंभीर खतरा माना जाता है।

## भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति

जनसंख्या के आधार पर नगरीय केन्द्रों को 6 वर्गों में बाँटा गया है-

- |                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ग्रामीण क्षेत्र (Rural Area)</b> | : 5 हजार से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। |
| <b>कस्बा (Town)</b>                 | : 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर कस्बा कहलाते हैं।                           |
| <b>नगर (City)</b>                   | : 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केन्द्र नगर कहलाते हैं।                 |
| <b>महानगर (Metro city)</b>          | : 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरीय केन्द्र महानगर कहलाते हैं।     |
| <b>मेगा सिटी (Mega City)</b>        | : 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा सिटी कहा जाता है।                |

महानगर व मेगा सिटी नगरीय संकुल कहलाते हैं।

**नोट:**

- वर्ष 1901 में केवल कोलकाता ही एकमात्र महानगर था। वर्ष 1911 में मुम्बई भी एक महानगर बन गया। वर्ष 1957 के आसपास चेन्नई और हैदराबाद की जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक हो गई और ये महानगर बन गये। वर्तमान में भारत में 40 से भी अधिक महानगर हैं।
- वर्तमान में देश में 3 मेगा सिटी हैं, जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है-1. मुम्बई, 2. दिल्ली, 3. कोलकाता
- नगरीकरण से तात्पर्य देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि से है। जनगणना 2001 तथा 2011 में देश की कुल जनसंख्या का क्रमशः 27.78% तथा 31.80% शहर में निवास करती है।

**भारत के 9 शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन**

- |            |           |             |              |
|------------|-----------|-------------|--------------|
| 1. कोलकाता | 2. दिल्ली | 3. बेंगलूरु | 4. गुरुग्राम |
| 5. मुम्बई  | 6. जयपुर  | 7. चेन्नई   | 8. कोच्चि    |
| 9. लखनऊ    |           |             |              |

**नोट:** उत्तर प्रदेश राज्य में 7 अन्य शहरों जहाँ मेट्रो की सुविधा विकसित करने की योजना है-

- |           |         |             |            |
|-----------|---------|-------------|------------|
| 1. कानपुर | 2. आगरा | 3. वाराणसी  | 4. गोरखपुर |
| 5. झाँसी  | 6. मेरठ | 7. इलाहाबाद |            |

**नो-फ्लाई लिस्ट के नियम (Rules of No Flying List)**

भारत में अब अनुचित व्यवहार करने वाले यात्रियों को उड़ान भरने से रोकने के लिए नियम लागू हो गए हैं। उड़ान प्रतिबन्ध किसी भी वैधानिक कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त होगा, जो दोषी यात्री के खिलाफ की जा सकती है।

**तालिका 10.6:**

| अनुचित व्यवहार का स्तर | अनुचित व्यवहार                                                                            | प्रतिबन्ध की समयावधि                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| स्तर -1                | मौखिक रूप से बुरा व्यवहार, जैसे-शांति तोड़ना, धमकी भरे इशारे, अनियंत्रित नशे की हालत आदि। | यात्री पर 3 माह का प्रतिबन्ध           |
| स्तर-2                 | शारीरिक रूप से आपत्तिजनक बर्ताव जैसे- धक्का देना, लात मारना, यौन उत्पीड़न करना आदि।       | यात्री पर 6 माह का प्रतिबन्ध           |
| स्तर-3                 | जान के खतरे वाला व्यवहार या विमान आपरेंटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाना आदि।                | कम से कम यात्री पर 2 वर्ष का प्रतिबन्ध |

**नोट:** एक सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति मामले पर 30 दिनों के भीतर फैसला करेगी।